मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

1931
22/10/18

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 05 / 10/2018

क्रमांक एफ 12-7/2018/सत्रह/मेडि-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) निरामयम का प्रदेश में क्रियान्वयन किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिए गए है -

1. योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु शासन संरचना (Governance Structure) में (i) नीतिगत परिषद् (Policy Council) (ii) शासी परिषद् (Governing Council) (iii) कार्यकारी परिषद् (Executive Council) गठित किए जाने एवं उनके अधिकारों एवं कार्यक्षेत्रों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नीतिगत परिषद् में मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी सम्मिलित किया जावे । कार्यकारी परिषद् में आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को भी सम्मिलित किया जावे।

2. योजना के अंतर्गत भारत शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में पैकेजेस प्रक्रिया एवं अन्य प्रशासनिक संशोधन व परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान की जावे ।

3. योजना में वितरण योग्य प्रोत्साहन राशि (Incentive) में परिवर्तन, मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित सीमाओं के अंतर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी "दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद (DDSSP) निरामयम" को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 3-2/2010/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 14 दिसंबर 2012 द्वारा जारी मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका में "विभागाध्यक्ष" को प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकारों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

5. मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि (SIAF) में अनुमोदित पैकेज में से परिशिष्ट-3 अनुसार जो पैकेज आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है, इन पैकेजेस को भी मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि (SIAF) में अनुमोदित दरों अनुसार आयुष्मान भारत योजना में शामिल किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

6. आयुष्मान भारत योजना में अनुमोदित पैकेज में से शासकीय चिकित्सालयों एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को 40 (चालीस) प्रतिशत राशि परिषद स्तर पर रोके जाने एवं इस रोकी गई राशि को राज्य शासन द्वारा योजना में शामिल SECC से इतर अन्य लाभार्थी परिवारों हेतु वांछित राज्यांश की राशि के विरूद्ध समायोजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

CEO(AB) | Copy to Dir (SIAF) | Dir (HA)   OS (SIAF)   PW UP C-2 26/10/18
DD (SIAF)

Section3-2018/Order/65

7. राज्य शासन पर जोड़े गए लाभार्थियों के अन्य राज्यों के चिन्हित चिकित्सालयों में उपचार हेतु Portability सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इस हेतु आवश्यक MoU करने के लिए दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद् (DDSSP) को अधिकृत किया जाता है ।

8. योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु योजना की मूल अवधारणा को यथावत रखते हुए विभाग को अपने स्तर पर योजना के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन व वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर, आवश्यक स्पष्टीकरण/संशोधन जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

9. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रदेश में, पात्रता रखने वाले सभी परिवारों को मार्च 2019 तक राज्य बीमारी सहायता निधि (SIAF) का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा । अर्थात् राज्य बीमारी सहायता निधि मार्च 2019 तक निरंतर क्रियान्वित होगी । यह व्यवस्था इस हेतु की गई है कि PMJAY का IT infrastructure को stablise होने में समय लगेगा तथा इस अवधि में कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित पात्र लाभार्थी उपचार से वंचित न रह जाए । **साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि दोनों योजनाओं के साथ-साथ चलने की वजह से किसी परिवार को लाभ का दोहराव (Duplication of Benefits) न हो ।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 12-7/2018/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 05 /10 /2018

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल।
2. निज सचिव, मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

7. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल (**आदेश वेवसाईट पर अपलोड करावे**)।
8. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश ।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।
11. कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

12. आर्डर फाईल ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग